तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आधिसूचित नवीन राजस्व ग्रामो बीजोलाई (मूलग्राम प्रतापपुरा) गिरधारी का गोला (मूलग्राम चोरवाडा) रावली की कोठी (मूलग्राम अनंतवाडा) के डेटा सृजन हेतु प्रा॰पत्र अंतर्गत धारा 136 LRAct मु॰नं॰ 16/2025	
	17/11/2025 प्रार्थी तहसीलदार बांदीकुई द्वारा आधिसूचित नवीन राजस्व ग्रामो बीजोलाई (मूल ग्राम प्रतापपुरा), गिरधारी का गोला (मूल ग्राम चोरवाडा), रावली की कोठी (मूल ग्राम अनंतवाड़ा) के डेटा सृजन हेतु मूलराजस्व ग्रामो के मूलखसरा नम्बरों के विभाजन हेतु प्रा॰पत्र अंतर्गत धारा 136 LRAct के पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो कर वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 25/11/2025 को पेश हो [signature]	
	25/11/2025 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उप॰। प्रार्थी द्वारा प्रा॰पत्र पर बहस की गयी। दौराने बहस प्रार्थी ने न्यायालय को अवगत करवाया कि मूल राजस्व ग्राम प्रतापपुरा, चोरवाडा, अनंतवाडा में से क्रमशः नवीन राजस्व ग्राम बीजोलाई, गिरधारी का गोला, रावली की कोठी आधिसूचित हुये है जिनको ई धरती पोर्टल पर मूल खसरा नंबरान को विभक्त करवाने के लिये निवेदन किया। हमने प्रा॰पत्र पर प्रार्थी की बहस सुनी। प्रा॰पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। अतः प्रार्थी की बहस व पत्रावली के अवलोकन के आधार पर एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा॰पत्र में राज्य सरकार का हित निहित होने से एवं तहसीलदार बांदीकुई द्वारा अनुरोध किये जाने के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 LRAct स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैफियत शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 25/11/25	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई जिला–दौसा

प्रकरण संख्या 161 / 2025
प्रकरण दायर दिनांक 17.11.2025
प्रकरण निर्णय दिनांक 25.11.2025

अधिसूचित नवीन राजस्व ग्रामो बीजोलाई (मूल ग्राम प्रतापपुरा), गिरधारी का गोला (मूल ग्राम चोरवाडा), रावली की कोठी (मूल ग्राम अनन्तवाडा) के डेटा सृजन हेतु मूल राजस्व ग्रामों में मूल खसरा नम्बरों के विभाजन हेतु

जरिये राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट

निर्णय दिनांक 25.11.2025

प्रार्थी तहसीलदार बांदीकुई के पत्र कमांकः भू.अ./2025/10014 दिनांक 17.11.2025 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट इस आशय से पेश किया कि मूल राजस्व ग्राम प्रतापपुरा, चोरवाडा, अनन्तवाडा में से क्रमशः नवीन राजस्व ग्राम बीजोलाई, गिरधारी का गोला, रावली की कोठी अधिसूचित हुये है। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा मूल राजस्व ग्राम प्रतापपुरा, चोरवाडा, अनन्तवाडा के ई–धरती पोर्टल पर मूल खसरा नम्बरान् को विभक्त करवाने के लिए अनुशंषा की गई है। तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक के साथ भू.अभि.निरीक्षक अरनिया, पटवारी पटवार हल्का प्रतापपुरा की संयुक्त जांच रिपोर्ट व भू.अभि.निरीक्षक बडियालकलां, पटवारी हल्का मूण्डघिस्या की संयुक्त जांच रिपोर्ट एवं भू.अभि.निरीक्षक आभानेरी, पटवारी हल्का अनन्तवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जिसका निम्नानुसार तालिका में विवरण अंकित किया गया है।

क्र स.	मूल राजस्व ग्राम व मूल खसरा नम्बर जिनके 2 टुकडो में विभाजित किया जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।	**नवीन राजस्व ग्रामो के डेटा संधारण हेतु मूल राजस्व ग्रामो के ई–धरती पोर्टल पर मूल खसरा नम्बरान के विभाजन का विवरण**	
1	प्रतापपुरा–1251/1249 रकबा 9.45 हैक्ट.	नवीन राजस्व ग्राम बीजोलाई एक टुकडा रकबा–4.98 हैक्ट.	शेष मूल राजस्व ग्राम प्रतापपुरा दूसरा टुकडा रकबा–4.47
2	चोरवाडा–168 रकबा 21.81 हैक्ट.	नवीन राजस्व ग्राम गिरधारी का गोला एक टुकडा रकबा–4.81 हैक्ट.	शेष मूल राजस्व ग्राम चोरवाडा दूसरा टुकडा रकबा–17.00 हैक्ट.
3	अनन्तवाडा–445 रकबा 21.42 हैक्ट.	नवीन राजस्व ग्राम रावली कोठी एक टुकडा रकबा–0.10 हैक्ट.	शेष मूल राजस्व ग्राम अनन्तवाडा दूसरा टुकडा रकबा–21.32 हैक्ट.

Scanned with OKEN Scanner

अतः तहसीलदार बांदीकुई व भू.अभि.निरीक्षक अरनिया, बडियालकलां, आभानेरी एवं पटवारी पटवार हल्का प्रतापपुरा, मूण्डघिस्या, अनन्तवाडा की अनुशंषा पर सारणी में अंकित मूल खसरा नम्बरान् के विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में राज्य सरकार का हित निहित होने से एवं तहसीलदार बांदीकुई द्वारा अनुशंषा किये जाने के आधार पर प्रार्थी/तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट. स्वीकार किया जाकर उक्त सारणी में अंकित मूल खसरा नम्बरान् को विभक्त किए जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बांदीकुई सारणी अनुसार/निर्णयानुसार विधिवत राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार बांदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उक्त निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/11/25

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner